

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2017

जयपुर, दिनांक 23.2.18

:: संशोधित आज्ञा ::

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 21.02.2018 के क्रम संख्या-5 पर अंकित श्री सुखदेव सिंह के सम्मुख "उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरु" के स्थान पर "उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु" तथा क्रम संख्या-15 पर अंकित श्रीमती शबाना कुरेशी के सम्मुख "अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर" के स्थान पर "मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर" पढ़ा जावे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

-हं-

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 (प्रति संलग्न) के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
5. संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे इस विभाग की आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
6. रक्षित पत्रावली।
7. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।


23.02.18
संयुक्त शासन सचिव